मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण प्रकरण/समयबद्व
संख्या-3355/9-5-2016-29 रिट/2014

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत (द्वारा जिलाधिकारी)
5. समस्त मुख्य अभियंता, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ :: दिनांक 04 नवम्बर, 2016

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओरिजनल अप्लीकेशन संख्या-21/2014 वर्धमान कौशिक एवं अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.11.2016 के अनुपालन कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में अवगत कराना है कि प्रश्नगत मामले में मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली द्वारा दिनांक 04.11.2016 को सुनवाई करते हुए पारित किये गये आदेश के कार्यकारी अंश निम्नवत है :-

" ....Let the Status report be filed by 08th November, 2016 . All the concerned Statyes shall place on record the action taken in furtherance to the order of te Tribunal in relation to prohibition on burning of agricultural residue Complaints have been received by the Registry of the Tribunal where various instances of construction material lying in the open, uncovered and construciton activity is being carried on in violation of the earlier orders of the Tribunal. It is also brought to the notice of the Tribunal that the waste burning particularly plastic is quite rampant and causing serious air pollution. Let the authority particularly deal with this aspect. All the corporations must ensure that construction material is not kept on the road and that the directions contained in our previous orders should be fully complied with, without default whatsoever. On 08th November, 2016 they will report as to the compliance of the directions issued by theTribunal in relationof three main sources of air pollution i.e. construction activity, burning of agricultural residue and other waste and vehicular pollution........."

2. उल्लेखनीय है कि मा0 न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश के क्रम में शहरी क्षेत्रों में निर्माण सामग्री के अवशेष को सड़क पर न रखे जाने व अपशिष्ठों को न जलाने के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या दिनांक 08.11.2016 से पूर्व मा0 राष्ट्रीय न्यायाधिकरण में दाखिल की जानी है। यह भी सूच्य है कि शासनादेश संख्या-335/नौ-5-2015-29 रिट 2014 दिनांक 21 जनवरी, 2015 द्वारा सड़क के किनारे पड़ी भवन निर्माण सामग्री तथा नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क पर फेंके जाने आदि के सम्बन्ध में अनुपालन करने व आख्या देने के निर्देश दिये गये हैं।

3. मा0 न्यायाधिकरण के उक्त आदेशों के अनुपालन हेतु समस्त नगर निगमों में कार्यरत मुख्य अभियंता को इस हेतु नोडल अधिकारी नामित किया जाता है, जो नियमित रूप से मासिक सूचना अपने-अपने नगर आयुक्त के माध्यम से निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध करायेंगे।

4. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली, द्वारा पारित उक्त आदेश एवं उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 21 जनवरी, 2015 का अनुपालन समयबद्ध रूप से सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन की स्थिति से प्रत्येक माह निदेशक, नगरीय निकाय उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा शासन को उपलब्ध करायी जाय। यदि मा0 न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों के क्रियान्वयन में शिथिलता के फलस्वरूप अवमानना की स्थिति उत्पन्न होती है, तो इसका उत्तरदायित्व संबंधित नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी का होगा।

कृपया उपर्युक्त आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

04/11/2016

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, पर्यावरण/कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ एवं समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि मा0 राष्टीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेशों के अनुपालन तथा उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 21 जनवरी, 2015 का अनुश्रवण करते हुए अद्यतन स्थिति की संकलित सूचना **दिनांक 07.11.2016 को मध्यान्ह 12.00 बजे तक** शासन को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उ.प्र. लखनऊ।
5. निदेशक, सी. एण्ड डी.एस. उ.प्र. जल निगम, लखनऊ।
6. समस्त अनुभाग, नगर विकास विभाग।
7. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।